

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था / विधवा / निःशक्त पेंशन योजना
हेतु आवेदन पत्र

आवेदक
का
फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम पिता / पति.....
जाति
2. आवेदक की जन्म तिथि / आयु.....
आयु के संबंध में आवश्यक दस्तावेज
(स्कूल का प्रमाण पत्र / अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र)
(आवेदक का पासपोर्ट साईज के तीन फोटो)
3. गरीबी रेखा की सर्वे सूची का क्रमांक
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु निम्नलिखित आयु होना अनिवार्य है:-
4.1 60 से 64 वर्ष
4.2 65 से 79 वर्ष
4.3 80 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही
5. विधवा होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण संलग्न करें
(आवेदिका की आयु 40 से 59 वर्ष होगी)
6. निःशक्त होने की दशा में चिकित्सक द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण प्रतिशत सहित संलग्न करें
(आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष होगी)
7. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता
8. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता
9. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो)

10. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

क्रमांक	ग्राम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
	योग				

11. क्या आवेदक को पूर्व से कोई पेंशन प्राप्त हो रही है ?
12. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण-पोषण हेतु कोई राशि, अनाज/अन्य सहायता प्राप्त हो रही है ? हां तो कितनी और किस रूप में
13. वर्तमान में जीविका का क्या साधन है

टीप:- आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

:: घोषणा पत्र ::

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति.....
निवासी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि
ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी
असत्य पाई जावे तो उपरोक्त राशि मुझसे वसूल की जा सकेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

- पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता — _____

1. आवेदक का नाम एवं पता — _____

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक — _____
3. सेवा का नाम जिसके लिये आवेदन दिया गया है — _____
- उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं — _____

4. निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख — _____

स्थान.....
दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-5 में उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम

माह वर्ष

क्रमांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत / निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)